न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज
	प्रेम देवी बनाम जगदीश मु.नं.– 37/25 किस्म – T.I.
	24.03.26 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से आदेश प्रा.पत्र T.I. लिखवाया जा नहीं सका। पत्रावली बर्खुदार वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.I. दिनांक 28.4.26 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) **28.04.26** पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर मुकम्मिल बजाप्ता किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
37/2025	06.05.2025	28.04.2026

बउनवान

1. प्रेम देवी पुत्री कालूराम, निवासी धौलखेड़ा, तहसील मंडावर, हाल पत्नी गिर्राज प्रसाद बैरवा, निवासी गुर्जर सीमला, तहसील सिकराय, जिला दौसा।
2. लाली पुत्री कालूराम, निवासी धौलखेड़ा, तहसील मंडावर, हाल पत्नी अमरसिंह बैरवा, निवासी डोरका, तहसील टोड़ाभीम, जिला करौली।

..प्रार्थीगण/सायलान

बनाम

1. जगदीश पुत्र कालूराम, निवासी धौलखेड़ा ,तहसील मंडावर, जिला दौसा।
2. बुधराम पुत्र कालूराम, निवासी धौलखेड़ा ,तहसील मंडावर, जिला दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर, जिला दौसा।

..अप्रार्थीगण/गैरसायलान

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण/सायलान – श्री गोपालसिंह।
2. अभिभाषक अप्रार्थीगण/गैरसायलान सं. 1,2 –श्री दिनेश मीना, श्री मनोज मीना।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजीयात खसरा सं. 253 लगा. 256, 258 लगा. 270, कुल किता 17, कुल रकबा 5.92 हैक्टे. ग्राम धौलखेडा तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित है । विवादित आराजीयात प्रार्थना पत्र सायलान एवं गैरसायल संख्या 1 व 2 एवं दावा प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 29 की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है जिसमें सायला सं. 1 का 1/24 भाग सायला सं. 2 का 1/24 भाग, तथा शेष हिस्सा गैरसायल सं. 1 व 2 एवं दावा प्रतिवादी सं. 3 लगायत 29 का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार है तथा इसी हिस्से अनुसार सायलान एवं गैरसायल संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी सं. 3 लगायत 29 उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त कर मुफीद होते चले आ रहे है। विवादित आराजीयात के खातेदार मन्नू पुत्र बसंता बैरवा, निवासी धौलखेडा की आज से करीब 10–11 माह पूर्व मृत्यु हो चुकी है जिसके दावा प्रतिवादी सं. 13 लगायत 18 काबिज काश्त होने से पक्षकार मुकदमा बनाया गया है एवं खातेदार मन्नू के पुत्र गोपाल की मृत्यु हो चुकी है जिसको दावा प्रतिवादी सं. 19 लगायत 23 काबिज काश्त होने के कारण पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। विवादित आराजीयात का अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है जो सायलान व गैरसायल सं. 1 व 2 एवं प्रतिवादी सं. 3 लगायत 20

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

की संयुक्त कब्जा काश्त व खातेदारी की आराजी है। वादग्रस्त आराजीयात का खातेदारान ने आपसी सहमति से मौके पर हिस्सानुसार विभाजन कर रखा है तथा उसी के अनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। सायलान की उक्त आराजीयात से गैरसायलान का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। उसके बाबजूद भी गैरसायलान सायलान के खेत की डोल मेड के ऊपर विवाद करते रहते है तथा उक्त आराजी संयुक्त कब्जा काश्त में होने से भी सायलान को भारी परेशानी का सामना करना पडता है। दिनांक 01.04.2025 को सायलान अपनी उक्त आराजी की देख–भाल कर रही थी कि अचानक गैरसायल सं. 1 व 2 एवं उनके प्रतिनिधि आये और कहने लगे कि अब हम तुम्हें उक्त आराजी को बोने नहीं देगें तथा उक्त आराजी पर हम कब्जा करेगे तथा तुम्हें उक्त आराजी से बेदखल करेंगे। तब सायलान ने उनसे कहा कि आप ऐसा काम क्यों करना चाहते है जबकि हमारा शान्तिपूर्वक अपनी आराजी पर कब्जा चला आ रहा है, आपको उसके बावजूद भी किसी प्रकार की परेशानी है तो तहसील कार्यालय में चल कर उक्त आराजी का विधिवत तकास्मा करवा लेते है तथा अपनी आराजी की पैमाईश करवा लेते है जिससे अपन सभी का बहम निकल जावेगा और अपने अपने हिस्से पर सभी काबिज रहेगें जिससे गैरसायलान एकदम नाराज हो गये और कहने लगे कि हम कोई तहसील कार्यालय में नहीं जायेगे। हमारा तो कम भूमि पर कब्जा है और तुम्हारे पास अधिक भूमि है इसी वहम के कारण तकास्मा नहीं करवाना चाहते है। इसके अलावा सायलान ने अन्य खातेदारान से भी विधिवत तकास्मा कराये जाने हेतु निवेदन किया लेकिन अन्य खातेदारान ने भी तकास्मा कराये जाने से साफ इन्कार दिया। इस कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थना पत्र के लिये विनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 01.04.2025 को गैरसायलान द्वारा आराजी मुतनाजा में सायलान को उनके हिस्से व कब्जे काश्त की आराजीयात के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी बेजा करने तथा कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन करने के उद्देश्य से पुख्ता निर्माण किये जाने की धमकी दिये जाने तथा अपने हिस्से की आराजी को बिना विधिवत तकास्मा कराये ही रहन बेचान करने की धमकी दिये जाने से पैदा हुई है। सायलान विवादग्रस्त आराजीयात की सहखातेदार है इसलिये प्रथम दृष्टया मामला सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। यदि गैरसायलान को दौराने दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी जबकि गैरसायलान की पाबंद करने पर उनको किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है। इस प्रकार अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः अर्ज है कि गैरसायलान को दौराने दावा इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे उक्त विवादित आराजीयात में सायलान के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। सायलान को शान्तिपूर्वक काश्त करने दे। आराजी में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें तथा किसी भी व्यक्ति को रहन बेचान नहीं करें। राजस्व रिकॉर्ड च मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखे।

2. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। अभिभाषक प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व दिनांक 06.05.2025 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजीयात खसरा सं. 253 लगा. 256, 258 लगा. 270, के राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की वर्तमान स्थिति बनायें रखें।

3. अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 01, 02 व 03 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

4. प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस प्रार्थीगण अभिभाषक पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – *इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –*

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबंदी संवत 2074–77 के अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात की रिकॉर्डेड खातेदार है। अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। विवादित आराजी में वाद के लम्बित रहने की अवधि के दौरान, यदि अप्रार्थीगण द्वारा निर्माण कार्य किया जाता है तो प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव होगा तथा इससे वाद बहुलता में व मौके पर विवाद में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। आराजीयात के मौके की वर्तमान स्थिति में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से बदलाव किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है।

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

आदेश

6. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम धौलखेडा, पटवार हल्का धौलखेडा, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270 के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 06.05.2025 को प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णीत होने तक, सम्पुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी में मौके की स्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

7. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 28.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) सत्यमेव जयते

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)